भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3181
07अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

अपव्यय को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना

†3181. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) शीत श्रृंखला अवसंरचना को समर्थन देने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण इाकइयां स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन क्या हैं;
(घ) प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है, यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के सृजन और विस्तार में सहायता करता है, ताकि फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा सके और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएँ इस प्रकार हैं:

i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 से फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की है ताकि फसलोत्तर नुकसान में कमी, मूल्य वर्धन आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं हैं (i) मेगा फूड पार्क (इस घटक को केवल प्रतिबद्ध देयताओं के प्रावधान के साथ दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है) (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना , (iii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का निर्माण, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (इस घटक को दिनांक 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है) (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार (vi) ऑपरेशन ग्रीन (vii) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एफटीएल) और मानव संसाधन और संस्थान- अनुसंधान और विकास।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योग स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारी समितियों, सोसायटियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), निजी कंपनियों और केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि को अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और किसानों सहित सभी पात्र आवेदक मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ताकि वे विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचनाएँ स्थापित कर सकें , जिनमें अन्य बातों के अलावा , फसलोत्तर नुकसान को कम करने और प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए शीतागार भी शामिल हैं। जून 2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत

1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1133 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं । पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत के प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" को लागू करता है। इस योजना का बजट परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है और योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंर्तगत कुल 170 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में 35.00 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इस योजना के अंर्तगत अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लगभग 3.39 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं । योजना के अंर्तगत सहायता के पैटर्न का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को कार्यान्वित कर रहा है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक क्रियाशील है । इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। दिनांक 30 जून 2025 तक , योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के अंश स्वरूप 3791.04 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वैज्ञानिक भंडारण सहित कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण तथा फसलोत्तर नुकसान तथा हैंडलिंग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, पूरे देश में एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" को लागू कर रहा है। यह एक ओपन एंडेड, मांग-आधारित और ऋण-लिंक्ड योजना है, जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की बैक-एंडेड पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है। आईएसएएम की एएमआई योजना के अंतर्गत, व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूहों, कृषि-उद्यमियों , पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध है। किसान-केंद्रित प्रसंस्करण भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल, कृषि उत्पादों, की मांग बढ़ती है जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलते हैं और खेतद्वार पर लाभप्रदता बढ़ती है। उपर्युक्त योजना ने देश भर में सूक्ष्म स्तर (किसान और शीत श्रृंखला मालिक) पर बेहतर मूल्य प्राप्ति, मूल्य वर्धन और अपव्यय में कमी आदि के माध्यम से आय में वृद्धि करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ङ): मंत्रालय शीत भंडारण अवसंरचना सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्वयं स्थापित नहीं करता है। उपर्युक्त योजनाएँ माँग-आधारित प्रकृति की हैं और इनके लिए धनराशि राज्यवार आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तर हेतु खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देकर अपव्यय को कम करने के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I।

तालिका 1: पीएमकेएसवाई के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए (अनुदान सहायता) योजना लाभ**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए (अनुदान सहायता) योजना लाभ**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (सीसी)	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी)	पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना (एपीसी)	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन (ओजी)	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी; तथा एकल फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी; तथा एकल फसलोत्तर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एफटीएल)	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठन/संस्थाएं: पात्र लागत के 70% की दर से अनुदान सहायता हेतु
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए -उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों की लागत के100% की दर से अनुदान , निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों की लागत के100% की दर से अनुदान , निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत के 70% की दर से अनुदान।

अनुबंध-II

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तर हेतु खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देकर अपव्यय को कम करने के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

पीएलआई योजना के अंर्तगत सहायता का पैटर्न

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट-आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि दर 10% प्राप्त करनी होगी। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है, तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, कोई भी कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और विपणन पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये , जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पाँच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

अनुबंध-III

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तर हेतु खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देकर अपव्यय को कम करने के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **व्यक्तिगत/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता** : पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) **प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता** : कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।

(iii) **सामान्य अवसंरचना हेतु सहायता** : एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 35% की दर से ऋण-आधारित पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक। साझा अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे अपनी क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) **ब्रांडिंग और विपणन सहायता :** एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) **क्षमता निर्माण:** इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी) कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

****